न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–67/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/67)

1. श्री मिश्रीलाल पुत्र स्व0 श्री गणेशलाल
2. श्रीमती चम्पादेवी पुत्री स्व0 श्री गणेशलाल
3. श्रीमती पानी देवी पुत्री स्व0 श्री गणेशलाल
समस्त जाति खटीक निवासीगण ग्राम टाडगढ तहसील टाडगढ जिला अजमेर।
4. श्रीमती सुन्दरदेवी पुत्री स्व0 श्री गणेशलाल
5. श्रीमती धापुदेवी पुत्री स्व0 श्री गणेशलाल
6. श्री लादूलाल पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
7. श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
8. श्री नौरतमल पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
9. श्री सुरेशकुमार पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
10. श्रीमती सोहनीदेवी पत्नी स्व0 श्री प्यारेलाल
11. श्रीमती कैलासीदेवी पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल
समस्त जाति खटीक निवासीगण ग्राम टाडगढ तहसील टाडगढ जिला अजमेर हाल निवासी पालनपुर जिला बनासकांठा (गुजरात) वादी नम्बर 2 लगायत 11 जरिए मुख्त्यार आम वादी नम्बर 1 श्री मिश्रीलाल पुत्र स्व0 श्री गणेशलाल जाति खटीक निवासी ग्राम टाडगढ तहसील टाडगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र श्री हजारीसिंह (मृतक जरिए वारीसान)
   1/1 श्री जीवनसिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह
   1/2 श्री सोहनसिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह
   1/3 श्रीमती गटू पुत्री स्व0 श्री दिलीपसिंह
   1/4 श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्री दिलीपसिंह
   1/5 श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्री दिलीपसिंह
   1/6 श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री दिलीपसिंह
2. श्री विजयसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह (मृतक जरिए वारीसान)
   2/1 श्री भैरूसिंह पुत्र स्व0 श्री विजयसिंह
   2/2 श्रीमती गंगादेवी पुत्री स्व0 श्री विजयसिंह
   समस्त जाति रावत निवासीगण बाडिया भडूका (टांकडी) पोस्ट टॉडगढ तहसील टॉडगढ जिला अजमेर।
3. श्रीमती जमना देवी उर्फ मीरादवी पत्नी श्री शिवसिंह जाति रावत निवासी ग्राम टॉडगढ तहसील टॉडगढ जिला अजमेर।
4. श्री लेखसिंह पुत्र स्व0 श्री शिवसिंह (मृतक जरिए वारीसान)
   4/1 श्रीमती बदामी देवी पत्नी स्व0 श्री लेखसिंह
   4/2 श्री जयपालसिंह पुत्र स्व0 श्री लेखसिंह
   4/3 श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लेखसिंह
   समस्त जाति रावत निवासीगण बाडिया भडूका (टांकडी) पोस्ट टॉडगढ तहसील टॉडगढ जिला अजमेर।
5. श्री भंवरसिंह पुत्र स्व0 श्री शिवसिंह जाति रावत निवासी टॉडगढ तहसील टॉडगढ जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार टाडगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टॉडगढ जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 08/2019 (2019/00020).

उपस्थितः–

1. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पारासर, राजकीय अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 06
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 05 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–05.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टॉडगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 (2019/00020) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ जिला अजमेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 बाबत खातेदारी घोषणा एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया जो नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ जिला अजमेर ने तहसीलदार टाडगढ से रिपोर्ट मंगाई जिसमें तहसीलदार टाडगढ के पत्रांक राजस्व 2022/343 दिनांक 28.7.2022 प्राप्त हुई जिसमें कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 2515 पर मोतीलाल पुत्र रामलाल, मदनलाल पुत्र मांगीलाल व सोहनलाल पुत्र सुखालाल का कब्जा वताया तथा खसरा नम्बर 2516 पर मिश्रीलाल पुत्र गणेशलाल, जवानसिंह पुत्र वन्ना सिंह, भंवरसिंह पुत्र शिवसिंह जमना देवी उर्फ मीरादेवी का कब्जा होना वताया है। साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत हुए तथा बहस उपरांत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ जिला अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2023 द्वारा वादीभण का वाद खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टॉडगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 (2019/00020) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 05 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वादपत्र के नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील के बावजूद किये गये। नोटिस तामील के बावजूद वे अनुपस्थित रहे क्योंकि विवादित आराजी ख0 नं0 2516 पर उनका कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन गलत रूप राजस्व रिकॉर्ड में उनका इन्द्राज किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ़ के समक्ष वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार टाडगढ़ से मौके की रिपोर्ट मंगाई गई जो अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें ख0 नं0 2516 एवं ख0 नं0 2515 में काबिज व्यक्तियों के पक्के मकान, बाड़ा व लेट्रीन बाथरूम की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें ख0 नं0 2516 जिसके रकबा 0.0606 में से रकबा 0.0160 में बाड़ा मय लेट्रीन बाथरूम बने हुए हैं। मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है और वे मौके पर काबिज काश्त नहीं है इसलिए उन्होंने वाद में अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ़ ने उस राजस्व रिकॉर्ड पर विश्वास कर निर्णय व डिक्री द्वारा वाद खारिज किया है जिसको वादीगण/अपीलान्ट ने वाद के माध्यम से चुनौति दी थी। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टॉडगढ़ ने वाद को खारिज करने का आधार यह भी माना कि एक व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से राजस्व की हानि होती है और पक्षकारान कब्जेकाश्त के आधार पर आराजी आदान प्रदान करने चाहें तो वे उपपंजीयक के यहां पंजीयन द्वारा कार्यवाही संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार उनका निर्णय व डिक्री द्वारा वाद को खारिज करने में गलत अप्रोच रहीं है क्योंकि वादीगण/अपीलान्ट का मुख्य आधार ही यही है कि आराजी ख0 नं0 2516 जो गणेशलाल के जीवनकाल से ही उक्त ख0 नं0 के 2 बिस्वा भूमि पर बाड़ा बनाकर काबिज थे जिस पर वर्तमान अपीलान्ट हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम ख0 नं0 2516 गलत रूप से अंकित कर दिया तथा वादीगण के नाम ख0 नं0 2515 गलत रूप से अंकित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टॉडगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 (2019/00020) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06 वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। हाजा न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

6. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। दिनांक 27.7.2022 को पटवारी हल्का टॉडगढ द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार श्री मिश्रीलाल पुत्र गणेशलाल खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.0160 है0, श्री जवानसिंह पुत्र बन्नासिंह खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.0180, भवंरसिंह पुत्र शिवसिंह, जमना देवी उर्फ मीरा देवी पत्नि शिवसिंह वगै0 खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.0202, श्री मोतीलाल पुत्र रामलाल खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.0165, श्री मदनलाल पुत्र मांगीलाल खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.0180, श्री सोहनलाल पुत्र सुखालाल वगै0 खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.0298 है0 पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के संदर्भ में यह पाया गया कि प्रदर्श 1 जिसके अनुसार विवादित खसरा नम्बर 10151 हाल खसरा नम्बर 2516 रकबा 00-07-10 बने होना अंकित है। प्रदर्श 3 ग्राम टॉडगढ की जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता संख्या 424 में अंकित खसरा नम्बर 2516 रकबा 00-07-10 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 4 ग्राम टॉडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 75 जिसमें अंकित खसरा संख्या 2515 रकबा 00–02–00 किस्म बाडा जो वादी के पिता गणेश पुत्र किशना के नाम दर्ज है। प्रदर्श 5 ग्राम टॉडगढ के नामांतकरण रजिस्टर संख्या 679 में रामसिंह शिवसिंह विजयसिंह पि0 हजारीसिंह रावत गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 6 की वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 2874 जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 2516 प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 8 जमाबंदी के खाता सख्या 442 में विवादित खसरा नम्बर 2516 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 9 की जमाबंदी संवत 2055–58 के खाता संख्या 968 प्रदर्श 10 के खाता संख्या 698 में अंकित खसरा संख्या 2516 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 11 के अनुसार खसरा संख्या 2516 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 11 के खाता संख्या 100 में अंकित खसरा नम्बर 2516 जो गणेश वल्द किसना कौम खटीक सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श 13 के खाता संख्या 108 के खसरा संख्या 2515 वादी के पिता गणेश वल्द किसना कौम खटीक सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। समस्त दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमियां कभी भी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकन नहीं होना पाया गया है। चूंकि राजस्व अभिलेखों में इंद्राज पूर्णत सही अंकित है जिसमें कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। वादीगण के पिता के नाम प्रारंभ से ही ग्राम टॉडगढ के खसरा नम्बर 2515 उनकी खातेदारी की आराजीयात रही है व खसरा नम्बर 2516 प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रही है जो पूर्व में गैर खातेदारी में दर्ज रही थी उसके पश्चात प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 2515 प्रारम्भ से ही वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है व वर्तमान में भी दर्ज चली आ रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय किस प्रकार की विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। डिक्री पारित करते समय किसी भी पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई हक हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक, विधिक, न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुकुल है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टॉडगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 (2019/00020) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(रामजयसिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामजयसिंह) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner